रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266290
CG-DL-E-22092025-266290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर, 19, 2025/भाद्र 28, 1947
No. 613] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/ BHADRA 28, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 690(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तिथि से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (प्राधिकृत इकाईओं के पुनर्गठन या अधिग्रहण का विनियमन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम कंपनियों के समझौतों, व्यवस्थाओं और समामेलन पर एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंसों/ प्राधिकरण की विभिन्न श्रेणियों के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देश, 2014 का अधिक्रमण करेंगे, लेकिन उन दिशानिर्देशों के अनुसरण में किए गए हस्तांतरण या विलय के संबंध में नियमों और शर्तों को रद्द नहीं करेंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "एक्सेस सर्विस" का वही अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया है;

(ख) "अधिग्रहणकर्ता " से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे स्वयं द्वारा, या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से, किसी प्राधिकृत इकाई में शेयर या मतदान अधिकार या उस पर नियंत्रण प्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है;

(ग) " अधिग्रहण " का अभिप्राय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्राधिकृत इकाई में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करना या उस पर नियंत्रण प्राप्त करने पर सहमत होना है।

स्पष्टीकरण:

(i) कोई भी अधिग्रहण, चाहे अधिग्रहित किए जा रहे इक्विटी शेयरों की संख्या कितनी भी हो, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण में परिवर्तन होगा, वह ऐसा अधिग्रहण होगा जिसे इन नियमों का अनुपालन करना होगा।

(ii) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राधिकृत इकाईओं के शेयरों का कोई भी अधिग्रहण, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लेनदेन के माध्यम से किया जाता है, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि: (i) ऐसे लेनदेन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार पर्याप्त अधिग्रहण माना जाता है और उसके द्वारा शासित होता है, या (ii) ऐसे लेनदेन के परिणामस्वरूप किसी प्राधिकृत इकाई के नियंत्रण में परिवर्तन होगा ;

(घ) “अधिनियम” से अभिप्राय दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) से है;

(ङ) "एरिया ऑफ आपरेशन" का वही अभिप्राय होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के तहत प्रदान किया गया है;

(च) "प्राधिकरण" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, (i) अधिनियम के तहत प्रदान किया गया प्राधिकरण, और (ii) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1855 के तहत जारी लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, दोनों अभिप्रेत हैं;

(छ) "प्राधिकरण नियम" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन अधिसूचित नियम अभिप्रेत हैं, जो दूरसंचार सेवा के प्रावधान या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण प्रदान करने को नियंत्रित करते हैं;

(ज) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत इकाई" का अभिप्राय (i) अधिनियम के तहत प्राधिकार प्रदान की गई इकाई और (ii) लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, दोनों से है;

(झ) "प्रसारण सेवाओं" का अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया है;

(ञ) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है:

परंतु यह कि किसी प्राधिकृत इकाई के निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर आसीन होने के आधार पर प्राधिकृत इकाई पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा;

(ट) "डीओटी" का अभिप्राय दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से है, जो केन्द्र सरकार का वह विभाग है जो अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करता है और स्पेक्ट्रम आवंटित करता है तथा टेलीग्राफ अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करता है, तथा इसमें लागू होने पर कोई भी उत्तराधिकारी विभाग शामिल होगा।

(ठ) "विनिवेश" का अभिप्राय है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी प्राधिकृत इकाई में शेयरों या मताधिकारों या उन पर नियंत्रण की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिक्री या ऐसी प्रासंगिक प्राधिकृत इकाई में शेयरों या मताधिकारों या उन पर नियंत्रण की बिक्री, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ;

(ड) "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" का अभिप्राय है विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के नियम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत परिभाषित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से है;

(ढ) “विदेशी निवेश” का अभिप्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से है;

(ण) "फॉर्म" का अभिप्राय है दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट फॉर्म;

(त) "अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश" से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के नियम 23 के उप-नियम (7) के पैराग्राफ (i) के तहत परिभाषित विदेशी निवेश अभिप्रेत है;

(थ) "इंटरनेट सेवा" का वही अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया है;

(द) "लाइसेंसधारी" का अभिप्राय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत जारी लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति रखने वाली इकाई है;

(ध) “मुख्य दूरसंचार सेवा नियम” से अभिप्राय दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकार) नियम, 2025 से है;

(न) "मशीन टू मशीन (एमटूएम) सेवा" का वही अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया है;

(प) "नेटवर्क सेवा ऑपरेटर" या "एनएसओ" का वही अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के तहत प्रदान किया गया है

(फ) "लंबित राशि" का अभिप्राय है किसी प्रासंगिक प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के तहत देय सभी राशियाँ, जिसमें लाइसेंस के तहत या टेलीग्राफ अधिनियम के तहत देय स्व-मूल्यांकन राशियाँ शामिल हैं, चाहे उसके संबंध में कोई मांग उठाई गई हो या नहीं और इसमें लाइसेंस शुल्क बकाया, एसयूसी शुल्क और कोई अन्य बकाया, ब्याज, डिफ़ॉल्ट ब्याज, परिसमाप्त क्षति, दंड, किसी न्यायिक आदेश या मध्यस्थता

पुरस्कार के अनुसरण में देय कोई भी राशि, विवादित राशि और डीओटी द्वारा मांगी गई राशि, लेकिन किसी भी अदालती आदेश के कारण भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है;

(ब) "पोर्टल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम 18 के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित पोर्टल से है;

(भ) "निषिद्ध निवेशक" से अभिप्राय मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया अर्थ होगा;

(म) "प्रमोटर" का वही अभिप्राय होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (69) के तहत प्रदान किया गया है;

(य) "प्रासंगिक क्षेत्र" से अभिप्राय, सेवा क्षेत्र या परिचालन क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिसके संबंध में कोई प्राधिकृत इकाई, जो इन नियमों के तहत अधिग्रहण या पुनर्गठन की विषय-वस्तु है, प्राधिकरण रखती है;

(कक) "पुनर्गठन" का अर्थ अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XV के तहत किसी प्राधिकृत इकाई के विलय, विभाजन, समझौता, व्यवस्था, समामेलन या पुनर्गठन से है;

(खख) "परिणामी इकाई" का अभिप्राय है पुनर्गठन से उत्पन्न इकाई, और इसमें एक से अधिक परिणामी इकाई शामिल हैं, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है;

(गग) "योजना" से तात्पर्य अभिप्राय किसी प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन की योजना से है;

घघ) "सेवा क्षेत्र" का वही अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया है;

(ङङ) "टेलीग्राफ अधिनियम" से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(चच) "न्यायाधिकरण" का वही अभिप्राय होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (90) के अंतर्गत दिया गया है; और

(छछ) "वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर" या "वीएनओ" का वही अभिप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत दिया गया है।

(2) यहां प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अभिप्राय होगा, जो अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 या प्राधिकरण नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अभिप्राय दिया गया है।

3. अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रयोज्यता और दायित्व

(1) ये नियम उन प्राधिकृत इकाई पर लागू होते हैं, जिसे: (क) मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के तहत प्राधिकारण प्रदान किया गया है, या (ख) दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाला लाइसेंसधारी है और उसने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया है, ताकि वह ऐसे लाइसेंस के तहत नियमों और शर्तों के तहत काम करना जारी रख सके;

परन्तु यह कि नियम 5, नियम 11, नियम 12 और नियम 14 केवल किसी प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन या अधिग्रहण पर लागू होंगे, जिसका कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक है ।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए,संबंधित इकाई का टर्नओवर उस उपयुक्त समय से ठीक पहले उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जब इस नियम में निर्दिष्ट टर्नओवर के मानदंड संबंधित इकाई पर लागू किए जाने हैं।

(2) दूरसंचार विभाग समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इन नियमों की प्रयोज्यता को दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के लिए कोई अन्य प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाईओं पर भी लागू कर सकता है।

(3) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) कोई पुनर्गठन या अधिग्रहण जो या तो: (i) विनिवेश का एक भाग है, या (ii) ऋणदाताओं द्वारा उनके पक्ष में सृजित किसी प्रतिभूति हित के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग के अनुसरण में है और जैसा दूरसंचार विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 45 के तहत निर्धारित किया गया है;

(ख) प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाईओं का कोई अधिग्रहण या पुनर्गठन:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो प्राधिकरण नियमों में निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी की दूरसंचार सेवाओं के साथ प्रसारण सेवाएँ प्रदान करता है,उसे इन नियमों से छूट प्राप्त नहीं होगा।

(4) इन नियमों के प्रावधान प्रत्येक प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरण और असाइंमेंट के निबंधनों और शर्तों का भाग माने जाएँगे।

(5) प्राधिकृत इकाई, साथ ही उसके प्रत्येक प्रमोटर्स, यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी इकाई का कोई भी पुनर्गठन या अधिग्रहण इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में हो।

(6) इन नियमों के अनुपालन में किसी भी चूक को प्राधिकृत इकाई के प्राधिकरण या असाइंमेंट के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा,और दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

(7) इन नियमों के अनुपालन में किसी भी चूक के परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकृत इकाई के प्रत्येक प्रमोटर्स की संयुक्त और पृथक देयता भी होगी, और यदि किसी या सभी प्रमोटर्स ने इन नियमों के उल्लंघन में किए गए पुनर्गठन या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से प्रतिफल प्राप्त किया है, तो ऐसे प्रमोटर्स संयुक्त रूप से और पृथक रूप से प्राप्त ऐसी संपूर्ण राशि का भुगतान दूरसंचार विभाग को करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

बशर्ते कि जहां प्रमोटर्स प्रासंगिक साक्ष्य के माध्यम से यह प्रदर्शित कर सकें कि अधिग्रहण या पुनर्गठन निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया गया था: (क) संबंधित सलाहकारों की सलाह, (ख) सम्यक विधिक तत्परता और (ग) भारत में प्रैक्टिस करने वाले किसी अधिवक्ता से लिखित राय प्राप्त करना, कि प्रस्तावित अधिग्रहण या पुनर्गठन इन नियमों के अनुपालन में है, ऐसे साक्ष्य को अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अंतर्गत एक शमन कारक माना जाएगा;

बशर्ते कि, इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रमोटर को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ऐसे प्रमोटर को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

स्पष्टीकरण: जहाँ इन नियमों के उल्लंघन में कोई अधिग्रहण या पुनर्गठन हुआ है, वहाँ: (क) वे व्यक्ति जो संबंधित पुनर्गठन या अधिग्रहण के समय प्रमोटर थे और (ख) वे व्यक्ति जो संबंधित पुनर्गठन या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप प्रमोटर बन गए हैं, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) प्राधिकृत इकाई केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों को प्रभावी करने के उद्देश्य से जारी की गई अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों, जो इन नियमों से असंगत न हों, का भी पालन करेगी।

अध्याय 2: शेयरधारिता का विनियमन और प्राधिकृत इकाई का नियंत्रण

4. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शेयरधारिता एवं नियंत्रण का प्रकटीकरण

जिस प्राधिकृत इकाई का पुनर्गठन या अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे नीचे दिए गए दायित्वों का पूर्णतः पालन करना होगा:

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से,प्राधिकरण नियमों के अंतर्गत अपने शेयरधारकों से संबंधित विवरण और जानकारी प्रस्तुत करना;

(ख) प्राधिकृत इकाई की पेड-अप कैपिटल में कुल विदेशी निवेश इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है और ऐसे विदेशी निवेश पर लागू निबंधनों और शर्तों तथा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) प्राधिकृत इकाई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसे निवेश को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों और नीति के अनुसार और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया है; और

(घ) प्राधिकरण नियमों के अंतर्गत निर्धारित किसी निषिद्ध निवेशक द्वारा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया है।

अध्याय 3: प्राधिकृत इकाईयों के पुनर्गठन एवं अधिग्रहण का विनियमन

5. दूरसंचार विभाग की पूर्व लिखित स्वीकृति की आवश्यकता

(1) नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट पचास करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली किसी प्राधिकृत इकाई को किसी भी प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के संबंध में यहां दिए गए प्रावधान के अनुसार दूरसंचार विभाग की पूर्व लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(2) किसी भी प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के लिए दूरसंचार विभाग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) पुनर्गठन के मामले में, संबंधित प्राधिकृत इकाई द्वारा जो पुनर्गठन करना चाहती है, और (ख) अधिग्रहण के मामले में, या तो संबंधित प्राधिकृत इकाई द्वारा जो ऐसे प्रस्तावित अधिग्रहण का सब्जेक्ट है, या प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता द्वारा, दूरसंचार विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट रूप और तरीके से, शुल्क के भुगतान किए जाने पर:

बशर्ते कि, यदि दूरसंचार विभाग उप-नियम (2) के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपने प्रश्नों, आपत्तियों या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, या अपनी लिखित स्वीकृति नहीं देता है, तो संबंधित आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) के अंतर्गत आवेदन किसी प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, न कि प्राधिकृत इकाई द्वारा, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

(क) दूरसंचार विभाग ऐसे आवेदन की सूचना प्राधिकृत इकाई को देगा और ऐसी इकाई को ऐसी सूचना जारी होने के चौदह दिनों के भीतर आवेदन पर अपनी सहमति या आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी;

(ख) यदि प्राधिकृत इकाई प्रस्तावित आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करती है, तो उसे ऐसी आपत्ति के लिए लिखित रूप में अपने कारण बताने होंगे;

(ग) आपत्तियाँ और उनके कारण प्राप्त होने पर,दूरसंचार विभाग प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता और प्राधिकृत इकाई के साथ एक सामान्य परामर्श के लिए नोटिस जारी करेगा और ऐसे परामर्श में प्रस्तुत किए गए सुझावों के आधार पर, दूरसंचार विभाग ऐसे परामर्श से चौदह दिनों की अवधि के भीतर यह निर्धारित करेगा कि आवेदन पर आगे विचार किया जाना चाहिए या उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, और ऐसी अस्वीकृति के कारण भी बताएगा।

(4) आवेदक, उप-नियम (2) के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय, दूरसंचार विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट सभी सूचनाएं,सहायक गणनाएं और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) किसी भी न्यायनिर्णयन अधिकारी या सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित सभी विवादों का विवरण;

(ख) प्रस्तावित अधिग्रहण या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी पर प्रभाव और क्या नियम 6 लागू होगा, एक सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित सपोर्टिंग कैलकुलेशन के साथ;

(ग) प्रस्तावित अधिग्रहण या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर प्रभाव, और क्या नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित सीमा को बनाए रखा जाएगा या उससे अधिक किया जाएगा, एक सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित सपोर्टिंग कैलकुलेशन के साथ;

(घ) क्या नियम 8 का प्रावधान लागू है और यदि हां,तो उसकी आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रमाण;

(ङ) नियम 9 के प्रावधान के अनुसार,प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण पूरा होने के बाद कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग; और

(च) देय लंबित राशि और पुष्टि कि नियम 10 में दिए गए भुगतान पर रोक लगाने वाला कोई न्यायालय आदेश लागू है या नहीं और यदि लागू हो तो ऐसे आदेश की एक प्रति नियम 10 के अनुसार अपरिवर्तनीय ऑन डिमांड बैंक गारंटी के साथ प्रदान करें, जिसमें ऐसी इकाई के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित सपोर्टिंग कैलकुलेशन शामिल हो।

(5) जिस प्राधिकृत इकाई का पुनर्गठन किया जा रहा है,वह न्यायाधिकरण के समक्ष पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, प्राधिकृत इकाई के निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित योजना की एक प्रति दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत करेगी, और इन नियमों के तहत प्रस्तावित योजना के लिए दूरसंचार विभाग के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसी पुनर्गठन की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।

(6) दूरसंचार विभाग, किसी प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन या अधिग्रहण को मंजूरी देते समय, ऐसे निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जिसमें लॉक-इन अवधि भी शामिल है जिसके दौरान प्राधिकृत इकाई के इक्विटी शेयरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(7) प्राधिकृत इकाई, पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले योजना में संशोधन करेगी ताकि उसमें उपरोक्त उप-नियम (6) के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तें, यदि कोई हों, शामिल किया जाए।

6. अधिग्रहण या पुनर्गठन से मार्केट शेयर का कांसेंट्रेशन नहीं हो सकता

(1) किसी भी अधिग्रहण या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप किसी भी प्राधिकृत इकाई को किसी सेवा क्षेत्र या परिचालन क्षेत्र, जैसा भी मामला हो,के अंतर्गत संबंधित दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए पचास प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो सकती।

(2) यदि किसी अधिग्रहण या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप किसी प्राधिकृत इकाई को किसी सेवा क्षेत्र या परिचालन क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत संबंधित दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए पचास प्रतिशत से अधिक मार्केट शेयर प्राप्त हो जाती है तो ऐसी प्राधिकृत इकाई,अधिग्रहण की समाप्ति या न्यायाधिकरण द्वारा योजना के अनुमोदन,जैसा भी लागू हो,की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर,सेवा क्षेत्र या परिचालन क्षेत्र, जैसा भी मामला हो,के अंतर्गत संबंधित दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए अपनी बाजार हिस्सेदारी को पचास प्रतिशत से कम करेगी।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए:

(क) संबंधित दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्कों के लिए संबंधित क्षेत्र में "मार्केट शेयर" का निर्धारण इस नियम में निर्दिष्ट प्राधिकृत इकाई के प्रयोक्ता आधार या राजस्व आधार या दोनों के आधार पर किया जाएगा और इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी :

(i) विधिवत लेखापरीक्षित एजीआर, संबंधित क्षेत्र में प्राधिकृत इकाईओं के लिए राजस्व आधारित मार्केट शेयर की गणना का आधार होगा और इस प्रयोजन के लिए विधिवत लेखापरीक्षित एजीआर हेतु संदर्भ तिथि, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च होगी, और

(ii) प्रयोक्ता आधार के आधार पर मार्केट शेयर की गणना के प्रयोजनों के लिए, वायरलाइन प्रयोक्ता की गणना में एक्सचेंज डेटा रिकॉर्ड (ईडीआर) या समकक्ष का उपयोग किया जाएगा और वायरलेस प्रयोक्ता की गणना में विज़िटर लोकेशन रजिस्टर (वीएलआर) डेटा या समकक्ष का उपयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: ईडीआर या वीएलआर डेटा या समकक्ष को ध्यान में रखने की संदर्भ तिथि अनुमोदन हेतु आवेदन की तिथि के आधार पर प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर या 30 जून होगी;

(ख) निम्नलिखित के संबंध में "मार्केट शेयर":

(i) एक्सेस सेवा, इंटरनेट सेवा, या एम2एम सेवा, प्राधिकृत इकाई के दोनों, प्रयोक्ता आधार के साथ राजस्व आधार को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी;

(ii) मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत कोई अन्य दूरसंचार सेवाएँ, प्राधिकृत इकाई के राजस्व आधार को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएँगी; और

(iii) नियम 3 के उप-नियम (2) के अंतर्गत अधिसूचित कोई अन्य दूरसंचार सेवाएँ या दूरसंचार नेटवर्क, प्राधिकृत इकाई के राजस्व आधार को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएँगे, जब तक कि दूरसंचार विभाग द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(ग) दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 15 के उप-नियम (3) के खंड (क) में यथापरिभाषित यदि कोई एनएसओ या उसका महत्वपूर्ण शेयरधारक, किसी वीएनओ का भी महत्वपूर्ण शेयरधारक है, तो संबंधित क्षेत्र में ऐसे एनएसओ के मार्केट शेयर की गणना संबंधित क्षेत्र में ऐसे वीएनओ के मार्केट शेयर को जोड़कर की जाएगी।

(घ) दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 15 के उप-नियम (3) के खंड (क) में यथापरिभाषित यदि कोई वीएनओ या उसका महत्वपूर्ण शेयरधारक, किसी एनएसओ का भी महत्वपूर्ण शेयरधारक है, तो संबंधित सेवा क्षेत्र में ऐसे वीएनओ के मार्केट शेयर की गणना, संबंधित सेवा क्षेत्र में ऐसे एनएसओ के मार्केट शेयर को जोड़कर की जाएगी।

7. रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम होल्डिंग निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो सकती

(1) प्राधिकृत इकाईयां यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी पुनर्गठन या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसी प्राधिकृत इकाई की कुल एक्सेस स्पेक्ट्रम होल्डिंग, लागू एनआईए में यथानिर्धारित सेवा क्षेत्र या परिचालन क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, के भीतर स्पेक्ट्रम सीमा से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,

"लागू एनआईए" से तात्पर्य स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा प्रकाशित आवेदन आमंत्रण की अंतिम उपलब्ध सूचना है, जो निम्नलिखित से ठीक पहले की है:

(i) (क) नियम 3 के उप-नियम (1) के परंतुक के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए पुनर्गठन के मामले में, दूरसंचार विभाग को संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि; और (ख) पुनर्गठन के अन्य सभी मामलों में, वह तिथि जिस दिन न्यायाधिकरण स्कीम को मंजूरी देता है;

(ii) अधिग्रहण के मामले में, नियम 5 के अंतर्गत दूरसंचार विभाग से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जहाँ लागू हो, या, अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव जारी करने की तिथि।

(2) यदि, पुनर्गठन या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, संबंधित प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित कुल एक्सेस स्पेक्ट्रम उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो संबंधित प्राधिकृत इकाई लागू नियमों के तहत अनुमत स्पेक्ट्रम के व्यापार सहित एक्सेस स्पेक्ट्रम प्रबंधन उपायों को कार्यान्वित करेगी:

बशर्ते कि यदि न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन दिए जाने के ग्यारह महीने के अंत में, संबंधित प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से परे कुल एक्सेस स्पेक्ट्रम को धारण करना जारी रखती है, तो संबंधित प्राधिकृत इकाई अतिरिक्त एक्सेस स्पेक्ट्रम को निम्नलिखित तरीके से वैकेट करेगी: (क) अतिरिक्त एक्सेस स्पेक्ट्रम को वैकेट करने के लिए दूरसंचार विभाग को एक आवेदन प्रस्तुत करना और (ख) न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बारह महीने पूरे होने से पहले, ऐसे असाइनमेंट की पूरी अवधि के लिए संबंधित स्पेक्ट्रम असाइनमेंट की शर्तों के तहत उसके द्वारा बकाया और देय सभी राशियों का भुगतान करना।

बशर्ते यह भी कि दूरसंचार विभाग द्वारा संबंधित प्राधिकृत इकाई को मूल्य या प्रभार या भुगतान की गई या देय राशि का कोई वापसी या समायोजन नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे अतिरिक्त एक्सेस स्पेक्ट्रम को वैकेट करने के संबंध में दूरसंचार विभाग पर कोई अन्य मौद्रिक दायित्व उत्पन्न होगा या लागू होगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट सीमाएँ एक्सेस स्पेक्ट्रम के अलावा किसी अन्य स्पेक्ट्रम पर लागू नहीं होंगी, जो किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित हो सकती हैं:

बशर्ते कि संबंधित प्राधिकृत इकाई का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे असाइनमेंट के निबंधनों और शर्तों के अनुसार असाइनमेंट के लिए भुगतान की जाने वाली सभी राशियों का भुगतान करे।

8. एक्सेस स्पेक्ट्रम का उदारीकरण

(1) जहाँ किसी प्राधिकृत इकाई के पास ऐसा एक्सेस स्पेक्ट्रम है जो या तो प्रशासनिक रूप से उसे असाइन किया गया है, या टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस के लिए भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के एवज में उसे असाइन किया गया है, वहाँ आवेदक को इन नियमों के अंतर्गत पुनर्गठन या अधिग्रहण हेतु लिखित अनुमोदन हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे एक्सेस स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों, यदि कोई हों, या इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किसी अन्य अधिसूचना, आदेश, निर्देश या अनुदेश के अनुसार पूरी कर ली गई है।

(2) पचास करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत दायित्व का अनुपालन,ऐसी इकाई द्वारा कोई पुनर्गठन या अधिग्रहण करने से पहले भी किया जाएगा।

9. कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के लिखित अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ-साथ कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग की गणना भी प्रस्तुत करनी होगी, जो प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण पूरा हो जाने के बाद प्राधिकृत इकाई के पास होगी।

(2) पचास करोड़ से कम टर्नओवर वाली प्राधिकृत इकाई या प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को किसी भी पुनर्गठन या अधिग्रहण से पहले, इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से, दूरसंचार विभाग को कुल

स्पेक्ट्रम होल्डिंग की गणना प्रस्तुत करनी होगी, जो प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण पूरा हो जाने के बाद प्राधिकृत इकाई के पास होगी।

(3) दूरसंचार विभाग, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत यथा निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने पर, स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना करेगा और प्राधिकृत इकाई या प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, जैसा भी मामला हो, को निर्दिष्ट करेगा, जो प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण पूरा होने के बाद संबंधित प्राधिकृत इकाई के पास निहित कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू होगा, और ऐसे भुगतान के लिए समय-सारिणी निर्दिष्ट करेगा।

(4) प्राधिकृत इकाई या प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, जैसा भी मामला हो, दूरसंचार विभाग को कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर गणना किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करेगा, जो इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के बाद प्राधिकृत इकाई के पास निहित होगा।

10. सभी लंबित राशियों का भुगतान

(1) जहां किसी प्राधिकृत इकाई, जो पुनर्गठन या अधिग्रहण की विषय-वस्तु है, के पास दूरसंचार विभाग को देय कोई लंबित राशि है, तो ऐसे प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के लिए कोई लिखित अनुमोदन दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन प्रदान किया जा सकता है, साथ ही प्राधिकरण नियमों के साथ पठित प्रासंगिक प्राधिकरण के तहत विलंबित भुगतान के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना की गई लागू ब्याज भी देय होगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी राशि के भुगतान पर रोक लगाने वाला न्यायालय का आदेश है, उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

(2) ऐसी परिस्थितियों में जहां लंबित राशि के भुगतान पर रोक लगाने वाला न्यायिक आदेश है, प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के लिए लिखित अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाला आवेदक: (क) लंबित न्यायालयीन कार्यवाही के परिणाम के अधीन, लंबित राशियों का भुगतान उस पर ब्याज सहित करने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा, और (ख) आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए गणना किए गए ब्याज सहित उस पर विलंबित भुगतान के लिए प्रासंगिक प्राधिकरण में निर्धारित दर पर कुल लंबित राशि के बराबर राशि के लिए दूरसंचार विभाग के पक्ष में एक अप्रतिसंहरणीय ऑन-डिमांड बैंक गारंटी प्रदान करेगा और बनाए रखेगा:

बशर्ते यह कि उक्त बैंक गारंटी उस अवधि तक कायम रखी जाएगी जब तक संबंधित न्यायालयीन कार्यवाही लंबित रहेगी और यदि लंबित कार्यवाही का परिणाम दूरसंचार विभाग के पक्ष में होता है तो संबंधित लंबित राशि की वसूली के लिए इसे भुनाया जाएगा;

बशर्ते यह और कि जहां प्रासंगिक न्यायिक आदेश इस नियम के तहत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के समय से तीन वर्ष से अधिक समय तक जारी रहता है, तो बैंक गारंटी की राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से छह माह पहले, प्राधिकृत इकाई अगले तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज के बराबर राशि बढ़ाकर कुल राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी।

(3) दूरसंचार विभाग, इन नियमों के अंतर्गत लिखित अनुमोदन के लिए दायर किसी आवेदन की समीक्षा के समय या प्रासंगिक अधिग्रहण या पुनर्गठन पूरा हो जाने के बाद भी या किसी भी समय, यह पता लगा सकता है कि क्या कोई लंबित राशि देय है और प्रासंगिक प्राधिकृत इकाई या परिणामी इकाई का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित राशि का भुगतान करे।

(4) उप-नियम (1) से (3) के उपबंध पचास करोड़ से कम टर्नओवर वाली किसी प्राधिकृत इकाई पर भी ऐसी इकाई द्वारा कोई पुनर्गठन या अधिग्रहण करने से पहले लागू होंगे।

11. स्कीम का विवरण

कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित पुनर्गठन की स्कीम, इन नियमों के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किए जाने हेतु, निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी:

(क) प्राधिकृत इकाई के प्रचालन वाले सभी सेवा क्षेत्रों या एरिया ऑफ़ ऑपरेशन, जैसी भी स्थिति हो, में स्कीम के अनुसरण में परिणामी इकाई को प्राधिकरण का हस्तांतरण या नया प्राधिकरण जारी करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी स्कीम के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि प्रदान करना;

(ख) यह अंडरटेकिंग देना कि जब तक परिणामी इकाई को प्राधिकरण हस्तांतरित नहीं हो जाता या नया प्राधिकरण नहीं मिल जाता, जैसी भी स्थिति हो, तब तक ऐसी इकाई को न्यायाधिकरण को स्कीम प्रस्तुत करने के समय प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरणों के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाला माना जाएगा;

(ग) इस बात का प्रकटीकरण कि क्या स्पेक्ट्रम की किसी नीलामी से कोई लॉक-इन अवधि लागू होती है, जैसा कि प्रासंगिक एनआईए में निर्धारित है, जिसमें प्राधिकृत इकाई ने भाग लिया हो, उस स्थिति में, ऐसी लॉक-इन अवधि परिणामी इकाई के संबंध में जारी किए जाने वाले किसी भी नए इक्विटी शेयरों के संबंध में लागू रहेगी;

(घ) लागू नियमों में निर्धारित क्रॉस होल्डिंग सीमा के अनुपालन की अंडरटेकिंग का प्रकटीकरण और उपबंध, साथ ही अन्य प्राधिकृत इकाइयों में किसी भी क्रॉस होल्डिंग, यदि कोई हो, का विवरण;

(ङ) पुनर्गठन या अधिग्रहण की मांग करने वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकारों का प्रकटीकरण, साथ ही ऐसे प्राधिकरण के तहत दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्कों के विवरण, साथ ही परिणामी इकाई की दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्कों का विवरण;

(च) प्रस्तावित पुनर्गठन के पूरा होने के बाद, प्राधिकृत इकाई को सौंपे गए एक्सेस स्पेक्ट्रम और विभिन्न सेवा क्षेत्रों या एरिया ऑफ ऑपरेशन, जैसी भी स्थिति हो, में परिणामी इकाई द्वारा धारित किए जा सकने वाले कुल एक्सेस स्पेक्ट्रम का प्रकटीकरण;

(छ) यह अंडरटेकिंग देना कि परिणामी इकाई अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों तथा दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के उपबंध को नियंत्रित करने वाले सभी लागू निबंधनों और शर्तों, तथा नियम 5 के उप-नियम (6) के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगी;

(ज) इस संबंध में प्रकटीकरण कि क्या विभिन्न सेवा क्षेत्रों या एरिया ऑफ ऑपरेशन, जैसी भी स्थिति हो, में कुल स्पेक्ट्रम होल्डिंग उपर्युक्त नियम 7 में निर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप है; और

(झ) क्या कोई अतिरिक्त एक्सेस स्पेक्ट्रम नियम 7 के अनुसार लागू सीमाओं से परे रखा जाएगा, जिसके लिए एक्सेस स्पेक्ट्रम प्रबंधन उपायों को लागू करने के नियम 7 के उप-नियम (2) का अनुपालन करना आवश्यक होगा, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के बारह माह पूरे होने से पहले स्पेक्ट्रम का व्यापार या किसी अतिरिक्त एक्सेस स्पेक्ट्रम का परिणामी अवकाश शामिल है।

12. प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन या अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें

दूरसंचार विभाग किसी प्राधिकृत इकाई के किसी प्रस्तावित पुनर्गठन या अधिग्रहण के लिए लिखित अनुमोदन प्रदान करेगा यदि:

(क) पुनर्संरचना के लिए मसौदा स्कीम में यह अंडरटेकिंग दी गई है कि परिणामी इकाई, रोल आउट दायित्वों, यदि कोई हो, सहित प्राधिकरण के निबंधनो और शर्तों का पालन करेगी;

(ख) प्राधिकृत इकाई या प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, ने एक वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि: (i) वह निषिद्ध निवेशक नहीं है, (ii) वह लागू प्राधिकरण नियमों में निर्धारित प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों का अनुपालन करता है और इस तरह के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करता है, (iii) वह एक वचनबद्धता प्रस्तुत करता है कि यह प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा;

(ग) दो प्राधिकृत इकाईओं के बीच अधिग्रहण या पुनर्गठन के मामले में, ऐसी इकाइयों द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत की जाती है कि: (i) दोनों संस्थाएं एक ही प्रकार की दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्राधिकरण रखती हैं, या (ii) प्राधिकृत इकाईयों में से एक द्वारा प्राप्त प्राधिकरण अपने दायरे और सेवा क्षेत्र या एरिया ऑफ ऑपरेशन, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क को कवर करता है, जैसी भी स्थिति हो, जो अन्य प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राप्त प्राधिकरण का हिस्सा हैं;

(घ) प्राधिकृत इकाई जो पुनर्गठन या अधिग्रहण का विषय है, जैसी भी स्थिति हो, ने नियम 10 के उप-नियम (1) के अनुसार प्राधिकरण के तहत सभी लंबित राशियों का भुगतान किया है, और जहां लागू हो, एक वचनबद्धता प्रस्तुत की है और नियम 10 के उप-नियम (2) के अनुसार ऑन-डिमांड बैंक गारंटी प्रदान की है;

(ङ) पुनर्गठन या अधिग्रहण नियम 6 के अनुपालन में है; और

(च) पुनर्गठन अथवा अधिग्रहण इन नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों के अनुपालन में किया जाएगा।

13. प्राधिकरण का स्थानांतरण

(1) परिणामी इकाई या प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता यथाशीघ्र तथा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन की तिथि से साठ दिन के भीतर, निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन, निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, दूरसंचार विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें परिणामी इकाई को उन सभी सेवा क्षेत्रों या एरिया ऑफ ऑपरेशन, जैसी भी स्थिति हो, में संबंधित प्राधिकरण के हस्तांतरण या नया प्राधिकरण प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा, जिनमें पूर्ववर्ती प्राधिकृत इकाई कार्य कर रही थी।

(2) दूरसंचार विभाग, जहां तक संभव हो, उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन किए जाने के साठ दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित करने या नए प्राधिकरण प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(3) दो प्राधिकृत इकाईओं के बीच अधिग्रहण या पुनर्गठन के मामले में, उप-नियम (1) के अनुसार प्राधिकरण का हस्तांतरण केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब: (क) ऐसी पूर्ववर्ती प्राधिकृत इकाईयां उसी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्कों के लिए प्राधिकरण रखती थीं, जैसी भी स्थिति हो, या (ख) पूर्ववर्ती इकाइयों में से किसी एक के पास जो प्राधिकरण था, वह अपने दायरे और सेवा क्षेत्र या एरिया ऑफ़ ऑपरेशन के भीतर दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्कों को कवर करता है, जैसी भी स्थिति हो, जो अन्य प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरण का हिस्सा हैं।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन की स्थिति में, परिणामी इकाई को हस्तांतरित या प्रदान किए गए प्राधिकरण की अवधि, ऐसे पुनर्गठन से तुरंत पहले संबंधित प्राधिकृत इकाईयों द्वारा धारित प्राधिकरणों की शेष अवधि में से जो अधिक हो, के बराबर होगी:

परन्तु यह कि, स्पेक्ट्रम के आवंटन की अवधि अपरिवर्तित रहेगी।

(5) उपर्युक्त उप-नियम (4) का प्रावधान उस पुनर्गठन पर लागू नहीं होगा जिसके तहत एक प्राधिकृत इकाई, जो टेलीग्राफ अधिनियम के तहत जारी प्राधिकरण रखती है, को किसी भी तरह से एक प्राधिकृत इकाई के साथ पुनर्गठित किया जाता है, जिसे अधिनियम के तहत लंबी अवधि के लिए प्राधिकरण जारी किया गया है।

अध्याय 4: विविध

14. पुनर्गठन और अधिग्रहण जो अध्याय 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं

जहां पचास करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली कोई प्राधिकृत इकाई परिसंपत्तियों की बिक्री सहित कोई लेनदेन करने का इरादा रखती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी प्राधिकृत इकाई के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक परिणाम सामने आते हैं:

(क) नियंत्रण में परिवर्तन;

(ख) परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या बिक्री; या

(ग) शेयरधारिता या मताधिकार में परिवर्तन;

तो ऐसे किसी भी लेनदेन को करने से पहले दूरसंचार विभाग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और इन नियमों के प्रावधान ऐसे अनुमोदन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

15. कथनों, अभिकथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतियों पर निर्भरता

(1) इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रस्तुतिकरण या आवेदन पर दूरसंचार विभाग द्वारा आवेदक द्वारा दिए गए बयानों, कथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतीकरणों तथा इस प्रकार उपलब्ध कराए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि किसी भी समय आवेदक द्वारा दिया गया कोई भी बयान, कथन, अभ्यावेदन या प्रस्तुतीकरण गलत पाया जाता है, तो कोई भी अनुमोदन, जिसमें मान्य अनुमोदन भी शामिल है, प्रारंभ से ही निरस्त समझा जाएगा।

16. बकाया राशि की वसूली

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा दूरसंचार विभाग को देय कोई भी राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

17. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या एक से अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकता है, जिसमें आवेदन, प्रपत्र, वचनबद्धता प्रस्तुत करना शामिल है, जो कि प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन या अधिग्रहण के विनियमन के लिए आवश्यक हो सकता है।

[सं. 24-11/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 19 September, 2025

G.S.R. 690(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 3 read with clause (a) and clause (c), to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short title, commencement and savings

(1) These rules may be called the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be in supersession of Guidelines for Transfer/Merger of various categories of Telecommunication service licences/authorisation under Unified Licence (UL) on compromises, arrangements and amalgamation of the companies, 2014, but shall not override the terms and conditions in respect of transfer or merger which have been undertaken pursuant to those guidelines.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "access service" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules;

(b) "acquirer" means any person who, directly or indirectly, acquires or agrees to acquire whether by himself, or through, or with persons acting in concert with him, shares or voting rights in, or control over an authorised entity;

(c) "acquisition" means directly or indirectly, acquiring or agreeing to acquire shares or voting rights in or control over an authorised entity.

Explanation:

(i) Any acquisition, irrespective of number of equity shares being acquired, which would result in a change in control, shall be an acquisition that would have to comply with these rules.

(ii) Any acquisition of shares of authorised entities listed on a stock exchange, that are undertaken through transactions on a stock exchange, shall not be considered as an acquisition for the purposes of these rules unless: (i) such transactions are considered as substantial acquisition in terms of and governed by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended from time to time), or (ii) such transaction would result in a change in control of an authorised entity;

(d) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(e) "area of operation" shall have the same meaning as provided under Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025;

(f) "authorisation" means, for the purposes of these rules, both (i) the authorisation granted under the Act, and (ii) license issued under the Indian Telegraph Act, 1855, as the case may be;

(g) "authorisation rules" means the rules notified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 3 of the Act governing grant of authorisations for provision of telecommunication service or establishment, operation, maintenance or expansion of telecommunication network;

(h) "authorised entity" means, for the purposes of these rules, both (i) an entity granted an authorisation under the Act and (ii) a licensee, as the case may be;

(i) "broadcasting services" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules;

(j) "control" includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner:

Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to be in control over an authorised entity merely by virtue of holding such position;

(k) "DOT" means the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India which is the department of the Central Government that grants authorisations and assigns spectrum under the Act and had issued licenses under the Telegraph Act, and shall include any successor department, as applicable.

(l) "disinvestment" means the direct or indirect sale by the Central Government or any State Government or by a government company as the case may be, of shares or voting rights in or control over an authorised entity or of shares or voting rights in, or control over the relevant authorised entity which is a public sector undertaking of the Central Government or any State Government;

(m) "foreign direct investment" means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;

(n) "foreign investment" means the direct and indirect foreign investment;

(o) "form" means a form specified by the DOT from time to time;

(p) "indirect foreign investment" means foreign investment as defined under paragraph (i) of sub-rule (7) of rule 23 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;

(q) "internet service" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules;

(r) "licensee" means an entity holding a license, registration or permission issued under the Telegraph Act, 1885;

(s) "main telecommunication service rules" means the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;

(t) "Machine to Machine (M2M) service" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules;

(u) "network service operator" or "NSO" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules.

(v) "pending amounts" means all amounts payable under the terms and conditions of a relevant authorisation, including self assessment amounts payable under a license or under the Telegraph Act, whether or not any demand has been raised in respect of the same and includes license fee dues, SUC charges and any other dues, interest, default interest, liquidated damages, penalties, any amounts payable pursuant to any judicial order or arbitration award, disputed amounts, and amounts demanded by the DOT but not paid on account of any court order;

(w) "portal" means the portal notified by the DOT under rule 17 of these rules;

(x) "prohibited investor" shall have the meaning as provided under the main telecommunication service rules;

(y) "promoter" shall have the same meaning as provided under sub-section (69) of section 2 of Companies Act, 2013;

(z) "relevant area" means, the service area or area of operation, as the case may be, in respect of which an authorised entity that is the subject matter of an acquisition or restructuring under these rules, holds authorisation;

(aa) "restructuring" means any merger, demerger, compromise, arrangement, amalgamation or restructuring of an authorised entity under Chapter XV of Companies Act, 2013;

(bb) "resulting entity" means the entity resulting from the restructuring, and includes more than one resulting entity, as the context requires;

(cc) "scheme" means a scheme for restructuring of an authorised entity;

(dd) "service area" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules;

(ee) "Telegraph Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(ff) "tribunal" shall have the same meaning as provided under sub-section (90) of section 2 of the Companies Act, 2013; and

(gg) "virtual network operator" or "VNO" shall have the same meaning as provided under the main telecommunication service rules.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, the Companies Act, 2013 or the authorisation rules shall have the same meaning assigned to them therein.

3. Applicability and obligation to ensure compliance

(1) These rules are applicable to an authorised entity that: (a) has been granted an authorisation under the main telecommunication service rules, or (b) is a licensee providing a telecommunication service and has exercised its right under sub-section (6) of section 3 of the Act, to continue to operate under the terms and conditions under such license.

Provided that rule 5, rule 11, rule 12 and rule 14 shall only apply to any restructuring or acquisition of an authorised entity that is having a turnover of more than rupees fifty crores.

Explanation: For the purposes of this rule, the turnover of the relevant entity shall be determined in accordance with the latest audited financial statements available immediately prior to the relevant time when the criteria of turnover specified in this rule is to be applied to the relevant entity.

(2) The DOT may by notification, from time to time, extend the applicability of these rules to authorised entities holding any other authorisation for telecommunication services or telecommunication networks.

(3) These rules shall not apply to:

(a) any restructuring or acquisition that is either: (i) a part of a disinvestment, or (ii) pursuant to exercise by lenders of their rights under any security interest created in their favour and as may be prescribed under section 45 of the Act by the DOT;

(b) any acquisition or restructuring of authorised entities providing broadcasting services:

Provided that a person, providing broadcasting services together with any other category of telecommunication services, as specified in the authorisation rules, shall not be exempted from these rules.

(4) The provisions of these rules shall be deemed to be the part of terms and conditions of the authorisation and assignment held by each authorised entity.

(5) The authorised entity, as well as each of its promoters, shall ensure that any restructuring or acquisition of such entity occurs in compliance with the provisions of these rules.

(6) Any default in compliance with these rules shall be considered a breach of the terms and conditions of authorisation or assignment of the authorised entity, and shall be dealt in accordance with the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

(7) Any default in compliance with these rules shall also result in joint and several liability of each of the promoters of the relevant authorised entity, and if any or all of the promoters received consideration from any person as a result of restructuring or acquisition carried out in breach of these rules, such promoters shall be jointly and severally liable to pay the DOT the entirety of such amount received.

Provided that where the promoters can demonstrate through relevant evidence that the acquisition or restructuring was undertaken on the basis of the following factors: (a) advice of relevant advisors, (b) undertaking legal due diligence and (c) obtaining written opinion from an advocate practising in India, that the

acquisition or restructuring proposed is in compliance with these rules, such evidence shall be considered as a mitigating factor under clause (h) of sub-section (3) of section 32 of the Act;

Provided further that, no promoter shall be held liable under these rules, unless such promoter has been given reasonable opportunity of being heard.

Explanation: Where an acquisition or restructuring that has occurred in breach of these rules, then: (a) the persons who were promoters at the time of the relevant restructuring or acquisition being undertaken and (b) the persons who become promoters as a result of the relevant restructuring or acquisition, shall be jointly and severally liable.

(8) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.

CHAPTER 2: REGULATION OF SHAREHOLDING AND CONTROL OF AUTHORISED ENTITY

4. Disclosure of direct and indirect shareholding and control

An authorised entity undergoing restructuring or acquisition shall be fully compliant with the obligations set forth below:

(a) submission, in the form and manner as may be specified by the DOT, of details and information relating to its shareholders as required under the authorisation rules;

(b) the total foreign investment in the paid up capital of the authorised entity does not exceed the ceiling determined by the Central Government for this purpose and ensure compliance with the terms and conditions applicable to such foreign investment and the terms and conditions of authorisation;

(c) the foreign direct investment into authorised entity is made in accordance with the applicable laws and policy governing such investment and after obtaining the required approvals; and

(d) there is no direct or indirect investment by a prohibited investor as stipulated under the authorisation rules.

CHAPTER 3: REGULATION OF RESTRUCTURING AND ACQUISITION OF AUTHORISED ENTITIES

5. Need for prior written approval of DOT

(1) An authorised entity having turnover of more than rupees fifty crores as specified under sub-rule (1) of rule 3, shall require prior written approval of the DOT as provided herein in respect of any proposed restructuring or acquisition.

(2) An application for seeking prior written approval of the DOT for any proposed restructuring or acquisition shall be submitted:

(a) in the case of a restructuring, by the relevant authorised entity that intends to undertake the restructuring and, (b) in case of acquisition, either by the relevant authorised entity that is the subject of such proposed acquisition or by the proposed acquirer, in the form and manner, subject to payment of fees, as may be specified by the DOT for this purpose:

Provided that, in the event DOT does not communicate its queries, objections or rejection, nor does it communicate its written approval within a period of sixty days from the date of submission of application under sub-rule (2), the relevant application shall be deemed to have been approved.

(3) If an application under sub-rule (2) is submitted by a proposed acquirer and not the authorised entity, the following provisions shall apply:

(a) DOT shall provide notice of such application to the authorised entity and require such entity to submit its consent or objection to the application within fourteen days of issuance of such notice;

(b) In the event the authorised entity submits an objection to the proposed application, it shall provide its reasons in writing for such objection;

(c) Upon receiving the objections and reasons for the same, DOT shall issue notice for a common consultation with the proposed acquirer and the authorised entity and based on the submissions made in such consultation, DOT shall determine, within a period of fourteen days from such consultation, whether the application should be proceeded for further consideration, or rejected, with reasons for such rejection.

(4) An applicant, while submitting its application under sub-rule (2), shall submit all such information and supporting calculations and relevant documents as may be specified by DOT for this purpose, which shall include:

(a) details of all disputes pending adjudication before any adjudication officer or court of competent jurisdiction;

(b) effect on market share as a result of the proposed acquisition or restructuring and whether rule 6 would be applicable, with supporting calculation certified by a statutory auditor;

(c) effect on spectrum holding as a result of the proposed acquisition or restructuring, and whether the limit prescribed under rule 7 would be maintained or exceeded, along with supporting calculation certified by a statutory auditor;

(d) whether provision of rule 8 is applicable and if so, evidence of compliance with its requirements;

(e) total spectrum holding after the proposed restructuring or acquisition is completed, in accordance with provision of rule 9; and

(f) any pending amounts payable and confirmation whether any court order injuncting payment as provided in rule 10 is applicable or not and if applicable provide a copy of the such order together with the irrevocable on demand bank guarantee in accordance with rule 10, with supporting calculation certified by the statutory auditor of such entity.

(5) An authorised entity undergoing restructuring, shall submit to the DOT, a copy of the scheme as has been approved by the Board of Directors of the authorised entity and the shareholders, prior to initiation of the process of restructuring before the tribunal, and no process for such restructuring shall be initiated before the tribunal without the prior written approval of the DOT to the proposed scheme provided under these rules.

(6) The DOT may, while approving restructuring or acquisition of an authorised entity, specify such terms and conditions as it may deem fit, including lock-in period during which the equity shares of the authorised entity, shall not be directly or indirectly transferred.

(7) The authorised entity shall amend the scheme, to reflect the terms and conditions, if any, that may be stipulated by DOT under sub-rule (6) above, before submitting the same to the tribunal for initiating the process of restructuring.

6. Acquisition or restructuring cannot result in concentration of market share

(1) No acquisition or restructuring can result in any authorised entity, obtaining more than fifty percent market share for relevant telecommunication service or telecommunication network, within a service area or area of operation, as the case may be.

(2) In the event an acquisition or restructuring would result in an authorised entity obtaining more than fifty percent market share for the relevant telecommunication service or telecommunication network, within any service area or area of operation, as the case may be, then such authorised entity, shall reduce its market share for the relevant telecommunication service or telecommunication network within the service area or area of operation, as the case may be, to less than fifty percent within a period of one year from the date of completion of acquisition, or approval of the scheme by the tribunal, as applicable.

(3) For the purposes of sub-rule (1) and (2) above:

(a) the "market share" for the relevant telecommunication services or telecommunication networks shall be determined on the basis of user base or revenue base of the authorised entity or both as specified in this rule, in the relevant area and for computing which:

(i) the duly audited AGR shall be the basis of computing revenue based market share for authorised entities in the relevant area, and the reference date for duly audited AGR for this purpose, shall be 31st March of the preceding financial year, and

(ii) for the purposes of computing market share based on user base, exchange data records (EDR) or equivalent shall be used in the calculation of wireline users, and visitor location register (VLR) data or equivalent shall be used in the calculation of wireless users.

Explanation: The reference date for taking into account EDR or VLR data or equivalent shall be 31st December or 30th June of each year depending on the date of application for approval;

(b) the "market share" in respect of:

(i) access service, internet service, or M2M service, shall be determined by considering both, i.e. user base as well as revenue base, of the authorised entity;

(ii) any other telecommunication services, authorised under the main telecommunication service rules, shall be determined by considering revenue base of the authorised entity; and

(iii) any other telecommunication services or telecommunication networks, notified under sub-rule (2) of rule 3, shall be determined by considering revenue base of the authorised entity, unless otherwise specified by the DOT.

(c) If a NSO or its material shareholder, as defined in clause (a) of sub-rule (3) of rule 15 of Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025, is also material shareholder of a VNO, then the market share of such NSO in the relevant area, shall be computed by adding the market share of such VNO in the relevant area.

(d) If a VNO or its material shareholder, as defined in clause (a) of sub-rule (3) of rule 15 of Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025, is also material shareholder of a NSO, then the market share of such VNO in the relevant area, shall be computed by adding the market share of such NSO in the relevant area.

7. Resulting spectrum holding cannot exceed specified limits

(1) Authorised entities shall ensure that no restructuring or acquisition results in an authorised entity's total access spectrum holding exceeding the spectrum cap within a service area or area of operation, as the case may be, as stipulated in the applicable NIA.

Explanation: For the purpose of this rule,

"applicable NIA" means the last available notice inviting application published by the DOT for auction of spectrum, immediately prior to:

(i) in case of: (a) restructuring covered by provisions of the proviso to sub-rule (1) of rule 3, the date of submission of the relevant application to the DOT; and (b) in all other cases of restructuring, the date on which the tribunal approves the scheme;

(ii) in case of an acquisition, the date of submission of application seeking prior written approval of the DOT under rule 5, where applicable, or, the date of offer for acquisition being issued by the acquirer.

(2) If, as a result of restructuring or acquisition, the total access spectrum held by the relevant authorised entity exceeds the limits prescribed in sub-rule (1) above, the relevant authorised entity shall implement access spectrum management measures, including through trading of spectrum as permitted under applicable rules:

Provided that if, at the end of eleven months of the approval being granted by the tribunal, the relevant authorised entity continues to hold total access spectrum beyond the limit specified under sub-rule (1), the relevant authorised entity shall vacate the excess access spectrum by: (a) submitting to the DOT an application for vacating the excess access spectrum and (b) making payment of all amounts due and payable by it under the terms of the relevant spectrum assignment for the entire duration of such assignment, prior to the completion of twelve months of the approval being granted by the tribunal.

Provided further that, no refund or set off of price or charges or monies paid or payable, shall be made by the DOT to the relevant authorised entity and neither would any other monetary obligation arise or be applicable on the DOT in respect of vacation of such excess access spectrum.

(3) The limitations specified in sub-rule (1) and (2) shall not be applicable to spectrum other than access spectrum, that may be held by an authorised entity:

Provided that the relevant authorised entity shall have the obligation to make payments of all amounts that are to be paid for the assignment in accordance with the terms and conditions of the such assignment.

8. Liberalisation of access spectrum

(1) Where an authorised entity is holding access spectrum which had been either administratively assigned to it, or was assigned to it against an entry fee paid for a license under the Telegraph Act, the applicant shall, prior to making an application for written approval for restructuring or acquisition under these rules, ensure that the process of liberalisation of such access spectrum has been completed in accordance with rules, if any, notified under section 6 of the Act or any other notification, order, direction, or instruction, as issued by the DOT in this regard.

(2) The obligation under sub-rule (1) shall also be complied with by an authorised entity having a turnover of less than fifty crores, prior to such entity undertaking any restructuring or acquisition.

9. Payment of spectrum charges on total spectrum holding

(1) An applicant submitting an application for written approval of a proposed restructuring or acquisition under these rules, shall together with its application also submit its computation of the total spectrum holding that the authorised entity shall hold once the proposed restructuring or acquisition is completed.

(2) An authorised entity or proposed acquirer, as the case may be, having a turnover of less than fifty crores, shall also, prior to undertaking any restructuring or acquisition, submit to the DOT, in the form and manner specified for this purpose, computation of the total spectrum holding that the authorised entity shall hold once the proposed restructuring or acquisition is completed.

(3) The DOT shall, on submission of details as specified under sub-rule (1) or sub-rule (2), calculate and specify to the authorised entity or proposed acquirer, as the case may be, the spectrum charges that would be applicable on the total spectrum holding vested with the relevant authorised entity after the proposed restructuring or acquisition is completed, and specify the time schedule for such payment.

(4) The authorised entity or proposed acquirer, as the case may be, shall pay to the DOT, the spectrum charges calculated on the total spectrum holding that would be vested with the authorised entity after the proposed restructuring or acquisition in accordance with the time schedule specified for this purpose.

10. Payment of all pending amounts

(1) Where an authorised entity, that is the subject matter of restructuring or acquisition, has any pending amounts payable to the DOT, then any written approval for such proposed restructuring or acquisition may be provided subject to payment of all such dues, as determined by the DOT, together with applicable interest calculated based on the rate stipulated for delayed payment under the relevant authorisation read with the authorisation rules, except, where there is an order of the court injuncting the payment of such amounts, the requirements as specified under sub-rule (2) shall be complied with.

(2) In circumstances where there is a judicial order injuncting payment of the pending amounts, an applicant submitting an application for written approval for the proposed restructuring or acquisition, shall: (a) submit an undertaking to make the payment of the pending amounts together with all interest thereon, subject to the outcome of the pending court proceedings, and (b) provide and maintain an irrevocable on-demand bank guarantee in favour of the DOT for an amount equivalent to the total pending amount together with interest calculated for a period of three years from the date of submission of application, at the rate stipulated in the relevant authorisation for late payment thereon:

Provided that the said bank guarantee shall be maintained for the period that the relevant court proceedings remain pending and shall be encashed to recover the relevant pending amounts if the outcome of the pending proceedings is in favour of the DOT;

Provided further that where the relevant judicial order continues for more than three years from the time of submission of the bank guarantee under this rule, then six months prior to the expiry of three year period used for calculation of the amount of the bank guarantee, the authorised entity shall submit the bank guarantee for an aggregate amount increased by an amount equal to interest for additional period of next three years.

(3) The DOT may at any time, including at the time of reviewing any application for written approval filed under these rules or even after the relevant acquisition or restructuring has been completed, ascertain whether there are any pending amounts payable and the relevant authorised entity or resulting entity shall have the obligation to make the payment of such amounts as determined.

(4) The provisions of sub-rules (1) to (3) shall also apply to an authorised entity having a turnover of less than fifty crores, prior to such entity undertaking any restructuring or acquisition.

11. Particulars of a scheme

An authorised entity shall ensure that the scheme for a proposed restructuring, in order to be considered for approval by the DOT under these rules, shall provide for the following:

(a) a period of one year from the date of approval of such scheme by the tribunal, for transfer of the authorisation or issuing of a new authorisation, as the case may be, to the resulting entity pursuant to the scheme in all the service areas or areas of operation, as the case may be, that the authorised entity is operating in;

(b) undertaking that till such time the authorisation is transferred or new authorisation is issued, as the case may be, to the resulting entity, such entity shall be deemed to be providing the telecommunication services under the authorisations held by the authorised entity at the time of submission of the scheme to the tribunal;

(c) disclosure of whether any lock-in period from any auction of spectrum, as stipulated in the relevant NIA, that the authorised entity may have participated in is applicable, in which case, such lock-in period shall continue to be applicable in respect of any fresh equity shares that may be issued in respect of the resulting entity;

(d) disclosure of and provision of an undertaking of compliance with the cross holding limitation stipulated in applicable rules, as well as details of any cross holding, if any, in other authorised entities;

(e) disclosure of the authorisations held by the authorised entity seeking restructuring or acquisition, together with details of the telecommunication services or telecommunication networks under such authorisation, as well as the telecommunication services or telecommunication networks of the resulting entity;

(f) disclosure of the access spectrum assigned to the authorised entity and the total access spectrum that may be held by the resulting entity in the various service areas or areas of operation, as the case may be, after the proposed restructuring is completed;

(g) undertaking that the resulting entity shall comply with the Act and rules thereunder and all applicable terms and conditions governing the provision of the telecommunication services or telecommunication networks, and such terms and conditions as specified by the DOT under sub-rule (6) of rule 5;

(h) disclosure as regards whether the total spectrum holding in the various service areas or areas of operation, as the case may be, is in compliance with the limitations specified in rule 7 above; and

(i) whether any excess access spectrum would be held beyond the limits applicable in terms of rule 7 that would require compliance with sub-rule (2) of rule 7 of implementing access spectrum management measures, including through trading of spectrum or consequential vacations of any excess access spectrum prior to the completion of twelve months of the approval being granted by the tribunal.

12. Conditions for grant of approval for restructuring or acquisition of authorised entity

The DOT shall grant written approval for any proposed restructuring or acquisition of an authorised entity if:

(a) the draft scheme for restructuring has the undertaking that the resulting entity, shall comply with the terms and conditions of the authorisation including the roll out obligations, if any;

(b) the authorised entity or the proposed acquirer, as the case may be, has submitted an undertaking that: (i) it is not a prohibited investor, (ii) it complies with the eligibility criteria for grant of authorisation stipulated in the applicable authorisation rules and submits the documents evidencing such compliance, (iii) it submits an undertaking that it shall comply with the terms and conditions of the authorisation;

(c) in case of acquisition or restructuring between two authorised entities, an undertaking is submitted by such entities that: (i) both entities hold authorisations for the same type of telecommunication services or telecommunication networks, as the case may be, or (ii) authorisation held by one of the authorised entities covers within its scope and service area or area of operation, the telecommunication services or telecommunication networks, as the case may be, which are part of the authorisation held by the other authorised entity;

(d) the authorised entity which is the subject matter of the restructuring or acquisition, as the case may be, has made payment of all pending amounts under the authorisation in accordance with sub-rule (1) of rule 10, and where applicable, has submitted an undertaking and provided an on-demand bank guarantee in accordance with sub-rule (2) of rule 10;

(e) the restructuring or acquisition is in compliance with rule 6; and

(f) the restructuring or acquisition would be in compliance with the other conditions stipulated in these rules.

13. Transfer of the authorisation

(1) A resulting entity or the proposed acquirer shall as soon as possible, and no later than sixty days from the date of approval by the tribunal, submit an application, in the form and manner, subject to payment of fees,

as may be specified, to the DOT, requesting for the transfer of the relevant authorisation or grant of new authorisation to the resulting entity, in all the service areas or area of operation, as the case may be, that the predecessor authorised entity was operating in.

(2) The DOT shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to transfer relevant authorisation or grant new authorisations, within sixty days of such application being made under sub-rule (1).

(3) In case of acquisition or restructuring between two authorised entities, transfer of authorisation as applied for pursuant to sub-rule (1) above shall be granted only if: (a) such predecessor authorised entities were holding authorisations for the same type of telecommunication services or telecommunication networks, as the case may be, or (b) the authorisation that was held by one of the predecessor entities, covers within its scope and service area or area of operation, the telecommunication services or telecommunication networks, as the case may be, which are part of the authorisation held by the other authorised entity.

(4) In the event of restructuring of an authorised entity, the term of the authorisation transferred or granted to the resulting entity, shall be equal to the higher of the remaining duration of the authorisations held by the relevant authorised entities immediately prior to such restructuring:

Provided that, the period of assignment of spectrum shall remain unchanged.

(5) The provision of sub-rule (4) above, shall not apply to a restructuring whereby an authorised entity that held an authorisation issued under the Telegraph Act, is restructured in any manner with an authorised entity that has been issued an authorisation with a longer tenure under the Act.

CHAPTER 4: MISCELLANEOUS

14. Restructuring and acquisitions not covered by Chapter 3

Where an authorised entity having a turnover of more than fifty crores intends to undertake any transaction including sale of assets which, directly or indirectly results in any one or more of the following in relation to such authorised entity:

(a) change in control;

(b) transfer or sale of assets; or

(c) change in shareholding or voting rights;

then the prior written approval of the DOT shall be obtained before any such transaction is undertaken and the provisions of these rules shall be applicable mutatis mutandis to such approval.

15. Reliance on statements, averments, representations and submissions

(1) Any submission or application under these rules, shall be processed by the DOT on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so provided.

(2) If, at any time, any of the statements, averments, representations or submissions made by an applicant is found to be incorrect, any approvals, including deemed approvals, shall stand revoked ab initio.

16. Recovery of dues

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the DOT by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

17. Digital implementation of these rules

The DOT, in furtherance of section 53 of the Act, may notify one or more portals for the digital implementation of these rules, including for submission of applications, forms, undertakings as may be required for regulation of restructuring or acquisition of the authorised entity.

[No. 24-11/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.22 15:29:00 +05'30'